[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3 उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर, 2020

का. आ. .....- केंद्रीय सरकार इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पैट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना सं. 3523 (अ) द्वारा एक स्कीम अर्थात् - 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नयी स्कीम' अधिसूचित की थी, जिसमें तत्पश्चात क्रमशः दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 अधिसूचना सं. का.आ. 3952 (ई), का.आ. 5219 (ई), का.आ. 47(ई), का.आ.4104(ई) और का.आ.1523(ई) द्वारा संशोधन किया गया था।

और यतः, केन्द्रीय सरकार एक छोटी विंडो खोलने का निर्णय लिया है, ताकि जो चीनी मिलें पूर्ववर्ती स्कीम के तहत अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी थीं, इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकें;

अब केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित स्कीम अर्थात 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नई स्कीम-2020' अधिसूचित करती है-

1) स्कीम का उद्देश्य:

स्कीम के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा सहायता का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

i) नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टीलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु।

ii) चीनी मिलों के साथ संबद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की क्षमता के विस्तार सहित चीनी मिलों के साथ संबद्ध नई डिस्टीलरियों की स्थापना करके इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु।

2) पात्रता:

i) चीनी मिलों से संबद्ध मौजूदा डिस्टीलरियां नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा किसी डिस्टीलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता के लिए पात्र हैं।

ii) सभी चीनी मिलें चीनी मिलों से संबद्ध मौजूदा डिस्टिलरियों की शकता में विस्तार सहित नई डिस्टीलरियों की स्थापना के लिए सहायता हेतु पात्र हैं।

iii) यह सहायता उन चीनी मिलों को उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होने इसी परियोजना के लिटये केन्द्रीय सरककर की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ लिया है।

3) स्कीम के अधीन सहायता:

i) बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण पर बैंकों राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर 6

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा ब्याज दर के 50 प्रतिशत की ब्याज छूट, जो भी कम हो केंद्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए वहन की जाएगी।

ii) स्कीम के अधीन ब्याज छूट उपर्युक्त 2 (i) और 2 (ii) के संबंध में प्रस्तावित क्षमता के आधार पर प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्वीकृत एवं संवितरित ऋण की राशि पर प्रदान की जाएगी।

4) आवेदन प्रस्तुत करना:

जो चीनी मिलें नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विधि अपनाकर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्राप्त करना चाहती हैं अथवा मौजूदा संयंत्र की उत्पादन क्षमता में विस्तार सहित अथवा नया डिस्टीलरी संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए यह अपेक्षित होगा कि वे आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-1)** में इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखकर आवेदनों की जांच करेगा

(क) पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडेड) ईबीपी (कार्यक्रम के अधीन इथेनॉल की अप्पूर्ति का कार्य-निष्पादन;
(ख) किसानों को दिया गन्ना मूल्य भुगतान के बारे मैं ट्रैक रिकॉर्ड ;
(ग) शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित पी में समय से (२-प्रपत्र) २- मासिक ऑनलाइन रेतुर्न दाखिल करना ;
(घ) परियोजना के लिए शीरे की उप्लभ्दता;
(ङ) चीनी विकास निधिलेवी चीनी मूल्य संकरण निधि की देय की स्तिथि आदि/;
(च) या परियोजना के व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक रूप में कोई भी अन्य पैरामीटर;

(5) आवेदनों की जांच/अनुमोदन:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग दो समितियों अर्थात जांच समिति और अनुमोदन समिति का गठन करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव जांच समिति और अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाएंगे एवं तत्पश्चात पात्र आवेदकों को खाद्य और सर्वजनिक्तितरण विभाग द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। उक्त समितियाँ पैरा 4 में उल्लिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच करेंगी।

6) स्कीम की रूपरेखा:

(i) आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन देगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव उधार देने वाले बैंक को इस संबंध में बैंक की नीति और सरकारी मानदंडों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु संस्तुत करेगा। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ii) आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 01 वर्ष के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।

(iii) चीनी मिलें संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय इथेनोल उत्पादन में क्षमता वर्धन/उन्नयन के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ समभिरूपता स्थापित करने का प्रयास करेंगी।

(iv) स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मानीटरिंग आसानी से की जा सके।

(v) वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंकों/ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड को उचित अनुदेश जारी करेगा।

7. ब्याज छूट के भुगतान की रूपरेखा

i) स्कीम के अधीन ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष के स्थगन काल सहित 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।

ii) सरकार द्वारा ब्याज छूट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि चीनी मिल का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। चीनी मिल चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।

iii) चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक/ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

iv) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छूट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छूट के निर्गम की रूपरेखा तैयार करेगा।

8. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र - चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत करते समय इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित विधि के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और इसकी स्थापना कर दी गई है अथवा मौजूदा डिस्टीलरी का विस्तार पूरा कर लिया गया है और इथेनोल का वर्धित उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. उपयोग प्रमाण पत्र: चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के तीन माह भीतर संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। राज्य/गन्ना आयुक्त ऋण के उपयोग की मानीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

10. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

[फा.सं. 1(10)/2018-एस पी-1]

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

मौजूदा डिस्टीलरी में नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने अथवा ईथनोल उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना करने अथवा मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए चीनी कारखाने से प्राप्त आवेदन

क. चीनी कारखाने का संक्षिप्त विवरण

1	चीनी कारखाने / उपक्रम / सोसाईटी / कंपनी का नाम	
2	कारखाने का संक्षिप्त नाम और प्लांट कोड	
3	कारखाने की स्थापित पेराई क्षमता	
4	चीनी कारखाने में चीनी उत्पादन शुरू होने की तिथि	
5	चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टीलरी, यदि कोई हो, की उत्पादन क्षमता	
6	क्या उपक्रम का कोई अन्य चीनी कारखाना है (अन्य समूह कारखानों का संक्षिप्त नाम और क्षमता बताएं)	
7	पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत वर्तमान और पिछले दो इथेनॉल वर्षों के दौरान इथेनॉल आपूर्ति का निष्पादन:	
	(i) ओएमसी द्वारा मांग की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
	(ii) मांग की गई मात्रा के प्रति आपूर्ति की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
८	गन्ना मूल्य भुगतान का निष्पादन	
	I. 2019-20 चीनी मौसम के दौरान गन्ने की खरीद के लिए देय कुल गन्ना मूल्य II. चीनी मौसम में खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया गया -2019-2020 कुल गन्ना मूल्य III. 2019-2020 चीनी मौसम और इसके पहले के मौसमों के लिए लंबित गन्ना बकाया, यदि कोई हो (कृपया बकाया राशि मौसम- वार दर्शाएँ)	

9	क्या मासिक प्रोफ़ार्मा पी-2 ऑनलाइन दर्ज किया गया है (यदि हाँ, तो किस महीने तक)	
10	चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि की बकाया राशि की स्तीथई, यदि कोई हो।	

ख. किसी डिस्टीलरी में इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना करने अथवा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनाने के लिए चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी से संबंधित सूचना

1.	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर की क्षमता/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अपनाने हेतु प्रस्तावित किसी अन्य विधि का ब्योरा।	
2.	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर का वर्किंग प्रेशर।	
3.	क्या सीपीसीबी की अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हां, तो मौजूदा डिस्टीलरी के लिए एक वर्ष में प्रचालन दिनों की संख्या।	
4.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ (शुल्क, अधिभार और स्थापना लागत आदि सहित)। कृपया मद-वार ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
5.	अग्रणी बैंक का नाम।	
6.	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
7.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन/ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ	
8.	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल का अतिरिक्त उत्पादन/ ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ ।	
9.	समूह कंपनी की मौजूदा चीनी मिलों में शीरे का उत्पादन (कृपया इकाई-वार बताएं)	
10.	नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय सीमा/ ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ।	
11.	इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख/ ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ	
12.	क्या प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बॉयलर/ ज़ीरो लिकुइड डिस्चार्ज के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य विधि को अपनानआ स्वदेशी स्रोत से खरीदे गए हैं (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

ग. **मौजूदा चीनी मिल के साथ नई डिस्टीलरी की स्थापना/ मौजूदा डिस्टीलरी के विस्तार से संबंधित जानकारी**

1.	केएलपीडी में प्रस्तावित डिस्टीलरी की क्षमता (नयी/विस्तार)	
2.	क्या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ नई डिस्टीलरी की स्थापना /मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार का प्रस्ताव है।	
3.	मूल कीमत तथा लागू करों आदि सहित नई डिस्टीलरी/ मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार की परियोजना हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता।	
4.	उधार देने वाले बैंक का नाम।	
5.	क्या इसी परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
6.	नई डिस्टीलरी/ मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन।	
7.	चीनी मिल में शीरे का उत्पादन, जहां प्रस्तावित डिस्टीलरी स्थापित की जानी है/विस्तार किया गया है (यदि समूह कंपनी है, तो कृपया इकाई-वार ब्यौरा दें)	
8.	नए संयंत्र की स्थापना/ मौजूदा संयत्र के विस्तार हेतु प्रस्तावित हेतु समय सीमा।	
9.	इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	
10.	क्या प्रस्तावित नई डिस्टीलरी/मौजूदा डिस्टिललेरी के विस्तार के लिए संयंत्र और मशीनरी स्वदेशी स्रोत से खरीदी गई है (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	